12/5/22 पत्रावली में बहस प्रार्थीगण सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय 30.05.22 को पेश हो।

30/5/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि ग्राम बंधावाला भोपालपुरा स्थित वादग्रस्त आराजी खाता सं0 59, 152, 197, 247, 250 की खातेदारी में प्रार्थीगण का नाम निमननुसार गलत दर्ज है जबकि प्रार्थीगण का सही नाम महेन्द्र कुमार पुत्र माधाराम, लीलाराम पुत्र माधा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम कही पर महेन्द्र कुमार पुत्र माधा व लीलाधर पुत्र माधा गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पुलिस विभाग का आई कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि की प्रतियां पेश की जिनमे प्रार्थीगण का सही नाम दर्ज है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र व गवाह रामोतार पुत्र गिरधारी जाति माली, बहादुर पुत्र गोरुराम जाति माली निवासी ढाणी झगड़ेत का लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम गलत दर्ज है। खातेदार प्रार्थीगण के सही नामों की पुष्टि आधार कार्ड, पुलिस विभाग का आई कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र तथा स्वंय के शपथ पत्र व गवाह रामोतार पुत्र गिरधारी जाति माली, वहादुर पुत्र गोरुराम जाति माली निवासी ढाणी झगडेत के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है:-